न्यायालय तहसीलदार सरदारशहर

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार मीणा RTS सरदारशहर

प्रा.पत्र 02 / 2022 सन् 2022 ता.फैसला 28.03.2022

1. भगवानाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी बिजरासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
2. मानाराम पुत्र पीथाराम जाति जाट निवासी बिजरासर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

:–प्रार्थीगण

बनाम

1. मीरां पत्नि आदूदास जाति स्वामी निवासी बिजरासर,
2. रामदेव पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी बिजरासर
3. पतराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी बिजरासर
4. इन्द्राज पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी बिजरासर
5. तिलोकाराम पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी बिजरासर

:–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 रा.का.अधिनियम 1955

:–निर्णयः–

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पत्रावली न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चूरू से इस आशय के साथ रिमाण्ड होकर प्राप्त हुयी कि प्रकरण में दोनों पक्षों को सबूत सुनवाई का पुनः पर्याप्त अवसर दिया जाकर व पीठासीन अधिकारी स्वयं मौका निरीक्षण कर नये सिरे से निर्णय पारित करें। हमने न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चूरू के निर्णयानुसार प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्ता को नोटेड करवाने हेतु सूचित किया । प्रार्थी अधिवक्ता ने दर्ज रजिस्टर होते ही नोटेड किया तथा अप्रार्थी अधिवक्ता ने नोटेड करने से मना करते हुए प्रकरण अपने अधिकार क्षेत्र का नहीं बताया। हमने अप्रार्थीगण से संबंधित अधिवक्ता हाजिर नहीं होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया [illegible] पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28.01.20[illegible] [illegible]।

अप्रार्थीगण को नोटिस की विधिवत ता[illegible] हो चुकी है। तामील [illegible] की प्रति पत्रावली के [illegible] [illegible] तारीख पेशी दिनांक [illegible] 01.2022 को अप्रार्थीगण की ओर से न तो अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आया और न ही कोई अधिवक्ता उपस्थित आयां चूंकि पत्रावली न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चूरू से इस आशय के साथ रिमाण्ड होकर प्राप्त हुयी थी कि अप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जावे और

तहसीलदार (राजस्व) सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar Meena
Date: 2022.04.28 12:59:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तत्पश्चात मौका निरीक्षण कर निर्णय पारित करें। हमने श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चूरू के आदेश की पालना में अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली को आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.02.2022 मे रखा।

दो तारीख पेशी बीत जाने के बावजूद अप्रार्थीगण की ओर से न तो अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आया और न ही अप्रार्थीगण की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित आया। चूंकि पत्रावली न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चूरू से रिमाण्ड होकर प्राप्त हुयी है। अतः जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद हमने पत्रावली को मौका निरीक्षण में रखा। निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व दिनांक 15.03.2022 को हमने मौका निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण के समय की स्थिति के आधार पर हमने पीठासीन अधिकारी के पूर्व निर्णय दिनांक 06.03.2020 का अवलोकन किया। अवलोकन उपरांत तथ्य ध्यान में आया कि पीठासीन अधिकारी का पूर्व निर्णय दिनांक 06.03.2020 सारभूत व सही है।

वक्त मौका निरीक्षण पाया गया कि खेत खसरा नं. 296 के खातेदार मीरां, खसरा नं 282 के खातेदार रामदेव, खसरा नं 283 के खातेदार पतराम, खसरा नं. 563/284 के खातेदार इन्द्राजं तथा खसरा नं. 286 के खातेदार तिलोकाराम आदि ने खसरा नं. 287 के खातेदार भगवानाराम तथा खसरा नं. 509/289 के खातेदार मानाराम आदि का सदामत का रास्ता रोक लिया है। स्पष्टतः अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण का पूर्व प्रचलित सदामत का रास्ता अवरूद्ध कर रखा है तथा अपने खेतों की सींव से नवीन रास्ता आगे के खेतों में जाने के लिए बना रखा है तथा सदामत का रास्ता जो मौजिज व्यक्तियों ने भी वर्षों पुराना बताया पर सरसों की काश्त कर रखी है। नया बनाया हुआ रास्ता जो बहुत ही दुर्गम व जटिल है। अप्रार्थीगण द्वारा बनाया गया नवीन रास्ता प्रार्थीगण के खेतों में पहुंचने के लिए सुलभ नहीं है तथा उक्त नवीन रास्ते पर वाहन, ऊंट गाड़ा आदि का चलना नामुमकिन है। वक्त मौका निरीक्षण अप्रार्थीगण को पूर्व प्रचलित रास्ते को वापिस खोलने के लिए समझाया गया लेकिन बावजद मौखिक समझाईस अप्रार्थीगण ने रास्ता खोलने से इन्कार कर दिया तथा स्पष्ट कहा कि [illegible] खेत में से कोई रास्ता उपलब्ध नहीं करवायेंगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar Meena
Date: 2022.04.28 12:59:53 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, [illegible] रिपोर्ट, न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के निर्णयानुसार पीठासीन अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण के समय की वस्तुस्थिति के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण का सदामत का रास्ता रोक लिया है जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है।

तहसीलदार (राजस्व)
[illegible] (चूरू)

कार्यालय तहसीलदार सरदारशहर

Scanned with CamScanner

हमने प्रार्थीगण के पूर्व प्रार्थना पत्र, पटवारी व भू.अ.नि की सयुंक्त रिपोर्ट, पूर्व जवाब प्रार्थना पत्र, मौका निरीक्षण रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अनुसार कोई भी सदामत का रास्ता जो बंद कर दिया है उसे खुलवाने का प्रावधान है तथा कानून के सारभूत प्रावधानों के अनुसार सदामत के रास्ते को रोकने का किसी भी व्यक्ति को कोई विधिक अधिकार भी नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा रोका गया रास्ता जिसके रूक जाने से प्रार्थीगण के खेतों में आना जाना बंद हो गया है। जिसकी वजह से प्रार्थीगण को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

अतः गैर कानूनी रूप से रोके गये उक्त रास्ते को खुलवाना हम उचित समझते है ताकि प्रार्थीगण या उनकी तरफ से कोई काश्तकार खेत ख.न. खेत खसरा नं. 287 व 509/289 में आना-जाना कर सके। चूंकि अब वर्तमान में काश्त की गयी फसल कट चुकी है। भविष्य में फसल काश्त की जा सकती है अतः आदेश दिया जाता है कि खसरा नं. 296, 282, 283, 563/284 व 286 के खातेदार द्वारा अवरोध लगाकर रोके गये उक्त सदामत के पूर्व प्रचलित रास्ते को तुरन्त खुलवाया जावें । हल्का भू.अ.नि. के नाम आदेश जारी हो। निर्णय आज दिनांक 28.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमीली व तरतीबी दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार (राजस्व)
सरदारशहर (चूरू)

कार्यालय-तहसीलदार सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar Meena
Date: 2022.04.28 12:59:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner